

**RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION**  
**LIMITED**

**Minutes of : 4/2024 Board Meeting**  
**Venue : Udyog Bhawan, Jaipur**  
**Day & Date : Wednesday, the 14<sup>th</sup> August 2024**  
**Commencement/Completion : 11.00 A.M./1.30 P.M.**  
**time of the meeting**

**Present:**

Shri Ajitabh Sharma	Chairman RIICO and Principal Secretary (Industries & Commerce)
Smt. Anandhi	Secretary, Mines & Petroleum
Shri Rohit Gupta	Commissioner (Industries) & Commissioner (Inv. & NRI)
Shri Shivprasad Nakate	Managing Director, RIICO
Shri Hari Mohan Meena	Managing Director, RFC

Dr. Sudipto Sen, AGM (Law) & Link officer to Secretary was in attendance. Smt. Anju Goya!, Financial Advisor; Shri Gaurav Chaturvedi, Advisor (Infra) and Shri Subhash Maharia, Advisor (A&M) were also present.

**Leave of absence:** The Board granted leave of absence to Shri Akhil Arora and Shri Dinesh Kumar.

**Quorum:** The Chairman was present. As the quorum was present, the meeting was called to order. Quorum was present throughout the meeting.

**Rescheduling of Meeting:** The meeting was originally scheduled for 8<sup>th</sup> August 2024 at 2.30 P.M. However, due to unavoidable reasons the meeting had to be rescheduled to 14<sup>th</sup> August 2024 at 11.00 A.M. All the directors were informed in advance about the change. The directors present in the meeting unanimously consented for the reschedule.

The Board was informed that though the notice for the meeting was issued well in time, however, the agenda notes for the meeting had been circulated at a shorter notice. All the Directors present at the meeting unanimously consented to waive the minimum notice period (with agenda notes) and took up all the items for consideration. Thereafter, following agenda items were taken for consideration in chronological order:

**Item 1: To note the minutes of the last meeting of the Board of Directors held on 14<sup>th</sup> May 2024.**

The minutes of the last meeting of the Board held on 14<sup>th</sup> May 2024 were noted and confirmed.

**Item 2: To note the minutes of the 4/2024 meeting of the Infrastructure Development Committee of the Board held on 24<sup>th</sup> May 2024.**

The minutes of the 4/2024 meeting of the Infrastructure Development Committee of the Board held on 24<sup>th</sup> May 2024 were noted and confirmed.

**Item 3: To note the minutes of the meeting of the Corporate Social Responsibility Committee (CSR Committee) of the Board held on 1<sup>st</sup> July 2024.**

The minutes of the meeting of the Corporate Social Responsibility Committee (CSR Committee) of the Board held on 1<sup>st</sup> July 2024 were noted. The Board also directed that an action plan for the FY 2024-25 be put up before the Board for appraisal.

**Item 4: Action Taken Report on the decisions of the previous meeting of the Board held on 14<sup>th</sup> May 2024.**

The Board noted the position brought out in the agenda note.

**Item 5: To approve the appointment of Secretarial Auditor of the Corporation for Financial Year 2023-24.**

The Board discussed the agenda, accorded approval for the appointment of a Secretarial Auditor, and adopted the following Resolution:

**RESOLUTION:**

"RESOLVED that pursuant to the provisions of section 204 of the Companies Act, 2013 and the rules made there under approval be and is hereby accorded for the appointment of M/s. V.M. & Associates, Company Secretaries, Jaipur, (FRN-P1984RJ039200) as Secretarial Auditors for conducting the secretarial audit of the Company for the year 2023-24, at remuneration of Rs.97500/- (Rs. Ninety Seven Thousand Five Hundred) plus GST".

**Item 6: Quarterly performance review of the activities of the Corporation for the quarter ended on 30<sup>th</sup> June 2024.**

The Board noted the quarterly performance review of the activities of the Corporation for the quarter ended on 30<sup>th</sup> June 2024.

**Item 7: Appointment of Cost Auditor for the F.Y. -2024-25**

The Board discussed the agenda and adopted the following Resolution:

**RESOLUTION:**

"RESOLVED that approval be and is hereby accorded for the appointment of M/s. A. Goyal & Company, Cost Accountant, Jaipur, as Cost Auditor of the Company for the FY 2024-25 at a consolidated fee of Rs. 30,000/- plus GST, subject to approval of the consolidated fee by the shareholders in the General Meeting".

**Item 8: Status and the progress in respect of development of Rajasthan Petro Zone (RPZ) in the vicinity of Refinery cum Petro-chemicals Complex at Pachpadra, District Barmer, Rajasthan.**

The Board noted the position brought out in the agenda note. The Board also gave the following directions:

- (i) In case of enhancing the rate of premium of land to be allotted in RPZ, the prior approval be sought from the Board.
- (ii) The possibilities of conveyancing the 25 MLD raw water, out of the total allocated 56 MLD (22.5 Cusecs) water to RIICO, from its source i.e. RD-1243 IGNP up-to RPZ through the conveyance system developed by HRRL be explored with an object to provide water to upcoming industries in RPZ.

**Item 9: Financial contribution of RIICO for Rising Rajasthan Summit-2024.**

The Board discussed the agenda and accorded approval for the following:

1. Allocation of Rs. 25.50 Crore against RIICO's share in total budgeted expenses for upcoming investment event i.e. the Rising Rajasthan 2024.
2. The Managing Director is authorized to release this amount of Rs. 25.50 Crore to SIP.

**Item 10: Creating a Sustainable Corpus Fund to service the pension liability and Presentation of LIC and SBI on corpus fund.**

A presentation was given by the representatives of LIC of India and SBI Life Company before the Board on the creation of a 'Corpus Fund' to service the pension liability of retired and serving employees of RIICO under the OPS. The Board after the deliberations directed that the Management shall analyse the options and submit a specific proposal for approval in the next meeting of the Board.

**Item 11: Certificate of Legal Compliance for quarter ended on 30<sup>th</sup> June 2024.**

The Board took on record the Certificate of Legal Compliance for the quarters ended on 30<sup>th</sup> June 2024.

**Item 12: 1. To change of scope of the Fintech Park and the name thereof from Fintech Park to Amrit Global Technology and Application Centre (in short referred to as Amrit G-TAC);**

**2. Allotment of Land to construct Unity Mall in Amrit G-TAC, Jaipur.**

The Board discussed on the proposal given in the agenda item and after deliberation accorded the following approvals:

- (i) The matter related to change of name of the proposed park from 'Fintech Park' to '**Amrit Global Technology and Application Centre**' (Amrit G-TAC) is to be discussed in the next Board meeting.
- (ii) Allot 15026 sqm of planned land (actual area as per site) land as shown in the Map for construction of the proposed 'Unity Mall' at a token price of Rs. 1/- (Rs. One only) on a lease basis in favour of Commissioner, Industry & Commerce, GoR considering the Unity Mall is an industrial activity as it would be used for artisans and craftsmen for production of their products and display thereof and this building would be beneficial for backward and forward integration of finished products prepared by such artisans and craftsmen;
- (iii) To allocate approximately 40000 sqm of land at a suitable location to construct the proposed 'Rajasthan Mandapam'. However, possibilities for the selection of agencies to construct and model to run the 'Rajasthan Mandapam' be explored by RIICO and a proposal with recommendations be placed before the Board in its next meeting.
- (iv) The Managing Director, RIICO is authorized to finalize the modalities for allotment of land to 'Unity Mall' such as duration of the lease, period for construction, building parameters, time of commencement of activities, further allotment by the Lessee etc.

The Board noted that the following agenda items were placed on the table with the permission of the Chair, therefore the Directors present in the meeting unanimously agreed to waive the minimum notice period, took up the item for consideration, and approved unanimously:

**Item 13: Modification in the total project area/site of proposed Industrial Township JPMIA/SIR and consequent approvals.**

The consideration of agenda item was deferred by the Board.

**Item 14: Approval of request for Qualification-cum-Request for Proposal for PMC document submitted by the consultant appointed by NICDC for proposed industrial Township in JPMIA-SIR.**

The Board discussed the agenda and accorded approval of the draft document relating to the 'Request for Qualification-cum-Request for Proposal' document for the appointment of the Program Manager for New Cities (RFP cum RFQ for PMNC) for the proposed Industrial Township in JPMIA-SIR.

The Board further authorized Managing Director RIICO cum CEO RIICO-RDA to take all allied/incidental actions in connection with this aforesaid process of selection of PMC. The Board also authorized the Managing Director RIICO cum CEO of JPMIA-

RDA/ KBNI-RDA to approve and sign other RFP cum RFQ for PMNC and related documents in connection with project developments of proposed Industrial Townships in JPMIA-SIR & KBNIR-SIR.

**Item 15: Quarterly performance of major development/maintenance works in the industrial areas.**

The Board noted the position brought out in the agenda note and authorized the managing director of the Corporation to finalize the industrial areas to be taken up for maintenance under the green field category as well as the brownfield category. The Board further directed that Managing Director to take action against the contractors/vendors where there has been undue delay in execution of the projects.

**Item 16: "राइजिंग राजस्थान-इन्वेस्टमेंट समिट-2024" के दौरान निवेशकों को प्रोत्साहन देने के परिप्रेक्ष्य में रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन हेतु उपलब्ध भूखंडों का आवंटन प्रत्यक्ष पद्धति से किये जाने हेतु कार्ययोजना का अनुमोदन बाबत।**

निदेशक मण्डल को उक्त प्रस्ताव की पृष्ठभूमि से अवगत कराते हुये यह बताया गया कि निवेशकों को राज्य में निवेश के लिये प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2024 के द्वितीय सप्ताह (9-11 दिसम्बर) में "राइजिंग राजस्थान-ए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024" आयोजित किया जा रहा है जिसमें हर बार की भाँति इस बार भी रीको की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। राज्य में औद्योगिक भूमि का लैण्ड बैंक मुख्यतः रीको के पास ही है तथा विर्तिमाण सैक्टर के लिये भूमि की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक है। यदि इच्छुक उद्यमियों को औद्योगिक भूमि उसकी मांग पर उपलब्ध करा दी जाये तो निवेश प्रस्ताव राज्य में वास्तविकता में परिवर्तित हो सकते हैं।

निदेशक मण्डल के समक्ष रीको द्वारा "राइजिंग राजस्थान-इन्वेस्टमेंट समिट-2024" के दौरान निवेशकों को प्रोत्साहन देने के परिप्रेक्ष्य में रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन हेतु उपलब्ध भूखंडों का आवंटन प्रत्यक्ष पद्धति से किये जाने हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना से संबंधित एक प्रस्तुतीकरण दिया गया जिसमें यह बताया गया कि रीको द्वारा वर्ष 2019 से भूखण्ड आवंटन के लिये अपनायी गयी ई-आक्षण पद्धति से प्रत्यक्ष आवंटन प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस प्रकार प्रत्यक्ष आवंटन किया जायेगा ताकि राइजिंग राजस्थान-ए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान जो उद्यमी राज्य सरकार से एमओयू निष्पादित करते हैं, उन्हें बिना विलम्ब के भूमि का आवंटन किया जा सके और राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में भी अच्छा निवेश आ सके जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ रोजगार सृजन हो सके।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि जब रीको द्वारा ई-आक्षण प्रणाली को शुरू किया गया था तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में तत्समय लम्बित एक प्रकरण में यह कथन किया गया था कि रीको द्वारा भविष्य में सभी भूखण्डों का आवंटन अधिक पारदर्शिता को बनाये रखने के उद्देश्य से ई-नीलामी के माध्यम से ही किये जायेंगे लेकिन राज्य सरकार की मंशा, निवेश प्रस्तावों को आमंत्रित करने तथा यथासंभव इच्छुक उद्यमियों

2/2

को बिना विलम्ब के भूमि दिये जाने की नीति बनाने के लिये निगम का निदेशक मण्डल सक्षम है।

निदेशक मण्डल द्वारा उक्त एजेन्डा में वर्णित प्रस्ताव पर गहन चर्चा की गयी तथा विगत 30 वर्षों में समय समय पर भूखण्ड आवंटन हेतु अपनायी गयी पद्धतियों के गुण-दोष पर भी चर्चा की गयी। निदेशक मण्डल के अनुसार यदि विशेष अवधि के लिये राज्य या उसके किसी उपकरण द्वारा राज्य हित या व्यापक जनहित में कोई विशेष नीति बनायी जाती है तो वह नीति पब्लिक पालिसी के विरुद्ध नहीं मानी गयी है और ऐसी नीति किसी विवन्धन के सिद्धान्त के प्रतिकूल भी नहीं मानी जाती है। निदेशक मण्डल के अनुसार प्रस्तावित प्रत्यक्ष आवंटन नीति लागू होने से रीको द्वारा अपनायी गयी ई-नीलामी पद्धति को ना तो समाप्त किया जा रहा है और ना ही उसे परिवर्तित किया जा रहा है।

निदेशक मण्डल द्वारा गहन चर्चा तथा समस्त परिस्थितियों, राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं आगामी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के परिप्रेक्ष्य में रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष आवंटन पद्धति से आवंटन किये जाने के एजेन्डा आईटम के साथ संलग्न परिशिष्ट-‘5’, ‘6’ व ‘7’ में वर्णित प्रस्तावों पर निम्न शर्तों के अध्याधीन अनुमोदन प्रदान किया गया:-

1. उक्त प्रस्तावित प्रत्यक्ष आवंटन नीति (परिशिष्ट- 5 व 6 के प्रस्ताव अनुसार) को रीको भू-निपटान नियम-1979 के प्रावधानों में यथोचित स्थान पर जोड़े जाने के लिये समुचित प्रस्ताव रीको के निदेशक मण्डल द्वारा गठित आधारभूत संरचना समिति के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत किया जाये।
2. एजेन्डा आईटम के साथ संलग्न परिशिष्ट-7 में दिये गये प्रस्तावों को रीको भू-निपटान नियम 1979 में संबंधित नियमों में जोड़े जाने/संशोधन किये जाने का प्रस्ताव भी रीको के निदेशक मण्डल द्वारा गठित आधारभूत संरचना समिति के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रत्यक्ष आवंटन प्रणाली के अनुसार किये जाने वाले आवंटन में लगाने वाले समय की अधिकतम समय सीमा तय की जाये।
4. उक्त आवंटन योजना आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा इस विशेष योजना की वैधता दिनांक 31.03.2025 तक रहेगी।

**Item 17: Minor Amendment in the Flow Chart (Annex-6) annexed with Agenda Item (15) placed before the BcD in its meeting held on 14.05.2024 related to Policy on Aggregation of Private Land.**

The consideration of agenda item was deferred by the Board.

**Item 18: Proposal for procurement of new 3 Nos. Toyota Innova Crysta, 2 Nos. Maruti Ciaz, 6 Nos. Maruti Swift Dzire and 19 Nos. Mahindra Bolero Neo N10 Vehicles.**

It was brought to the notice of the Board that out of 23 vehicles which are presently being used in RIICO, 21 vehicles have either run 02 lakh kilometers and more or have completed 08 years from the date of their purchase, hence, became unserviceable as per norms.

The Board discussed the agenda and accorded approval for the procurement of 3 Nos. Toyota Innova Crysta, 2 Nos. Maruti Ciaz, 6 Nos. Maruti Swift Dzire and 19 Nos. Mahindra Bolero Neo N10 Vehicles, having a tentative cost of Rs. 459.65 lacs including taxes, registration, insurance & logistic charges considering the requirement of new vehicles in the upcoming 'Rising Rajasthan' Global Investment Summit-2024.

**Item 19: Execution of Deed of Adherence with RIICO and NICDIT.**

The Board discussed the agenda and accorded approval for the following:

- (i) Draft of the Deed of Adherence to be executed between RIICO, NICDIT & RIDCO.
- (ii) the Managing Director, RIICO is authorized to sign/execute the said indenture on behalf of RIICO and also to sign and execute other relevant indentures/documents about RIDCO on behalf of RIICO in the continuity of the Shareholders Agreement except for any notice under Article 14 of SHA related to the termination of the Agreement.
- (iii) The Financial Advisor, RIICO is authorized to sign/execute the said indenture on behalf of RIDCO being the Chief Financial Officer of RIDCO.
- (iv) To bear stamp duty and other incidental charges on the execution of the said 'Deed of Adherence'.

The meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

  
CHAIRMAN 25/1

Date of Entry: 25/1/24  
Date of Signature: 25/1/24  
Place: Jaipur

### प्रथम प्रत्यक्ष आवंटन पद्धति

**विषय:** चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में राईजिंग राजस्थान के संदर्भ में प्रत्यक्ष औद्योगिक भूखण्ड/भूमि आवंटन का आरक्षित दर पर विशेष आवंटन योजना:-

1. पात्रता: प्रत्यक्ष आवंटन प्रणाली के तहत चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में 'राईजिंग राजस्थान-ए ग्लोबल इन्वेस्टमेन्ट समिट-2024' के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ मैमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टेन्डिंग निष्पादित करने वाले उद्यमियों के लिए जो औद्योगिक भूखण्ड/भूमि की मांग की औचित्यता पूर्ण करते हो।
2. आवेदनकर्ता का स्वरूप:- एकल स्वामित्व इकाई, भागीदारी फर्म, एलएलपी, प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, एचयूएफ, बहुराष्ट्रीय कम्पनी (भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के अध्याधीन)
3. भूमि की आवंटन दर: भूखण्ड/भूमि की निर्धारित आरक्षित दर पर।
4. आवंटन की प्रक्रिया:
  - i. आवेदक को चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों/विशेष पार्क में एक ही औद्योगिक क्षेत्र में या वरीयता क्रम में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 3 भूखंडों के लिए अपना आवेदन मय प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना होगा।
  - ii. समस्त आवेदनों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जाँच कर उसके द्वारा प्रस्तावित स्थायी पूँजी निवेश, रोजगार, उत्पादन समयरेखा, उद्योग संचालन का अनुभव, वर्तमान इकाई के विस्तार हेतु भूमि की आवश्यकता, निर्यातमुखी इकाई, टर्नओवर आदि के अनुसार मूल्यांकन किया जावेगा।
  - iii. एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर भूखण्ड/भूमि आवंटन के लिए प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन इकाई स्तर की कमेटी द्वारा वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। आवेदक द्वारा नीचे उल्लिखित वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर प्राप्त अंकों के आधार पर आवंटन हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।

क्र. सं.	विवरण	पैरामीटर	अंक	अधिकतम अंक
1	स्थायी पूँजी निवेश (भूमि, भवन के निर्माण तथा संयंत्र एवं मशीनरी) पर पूँजी निवेश	यदि स्थायी पूँजी निवेश भूमि के मूल्य से 1 गुणा से अधिक एवं 2 गुणा तक	05	25
		यदि स्थायी पूँजी निवेश भूमि के मूल्य से 2 गुणा से अधिक एवं 3 गुणा तक	10	
		यदि स्थायी पूँजी निवेश भूमि के मूल्य से 3 गुणा से अधिक एवं 4 गुणा तक	15	
		यदि स्थायी पूँजी निवेश भूमि के मूल्य से 4 गुणा से अधिक एवं 5 गुणा तक	20	
		यदि स्थायी पूँजी निवेश भूमि के मूल्य से 5 गुणा से अधिक	25	

2	रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष रोजगार)	20 से अधिक रोजगार देने वाले प्रत्येक अतिरिक्त 5 व्यक्तियों के लिए	01 अंक	25
3	उत्पादन शुरू करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा	12 महीने में	20	20
		12 से 18 महीने के भीतर	15	
		18 से 24 महीने के भीतर	10	
4	महिला उद्यमी/राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति/बैंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक/मृत सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों/अर्धसैनिक कार्मिकों के आश्रित	-	5	5
5	राज्य में इकाई के पिस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता	-	15	15
6	निर्यातोन्मुख इकाई (विदेश व्यापार महानिदेशालय से प्रमाण पत्र अनिवार्य)	-	5	5
7	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में आवेदक की कुल औसत टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक होने की दशा में (भागीदार/निदेशक होने की दशा में प्रोरेटा बेसिस पर टर्नओवर की गणना की जावेगी।	-	5	5

- iv. उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को रीको के मुख्यालय स्तर पर गठित प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता वाली परियोजना मूल्यांकन समिति जिसमें सलाहकार (इन्फ्रा), वित्तीय सलाहकार, महाप्रबन्धक (बीपी), अतिरिक्त महाप्रबन्धक (विधि), वरिष्ठ नगर नियोजक-I तथा पीएण्डडी प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक बतौर सदस्य सचिव शामिल हैं, द्वारा भूमि की औचित्यता तथा वस्तुनिष्ठ मानदण्डों के आधार पर प्राप्त अंकों को दृष्टिगत रखकर गुणावगुण के आधार पर भूखण्ड आवंटन का निर्णय किया जावेगा। यह निर्णय उक्त समिति द्वारा 3 सप्ताह में किया जायेगा।
- v. किसी भूखण्ड पर एक से अधिक आवेदकों द्वारा अधिकतम अंक समान होने की स्थिति में अधिकतम दिनिवेश का प्रस्ताव देने वाले आवेदक को ऐसे चिन्हित भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा।
- vi. सबप्रथम भूखण्ड पर प्रथम वरीयता वाले आवेदकों में से उक्त भूखण्ड का आवंटन उपरोक्तानुसार किया जावेगा। अगर किसी भूखण्ड पर प्रथम वरीयता के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तब क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय वरीयता वाले आवेदनों पर विचार किया जावेगा।
5. **अमानत राशि (Earnest Money) :-** आवेदक को भूखण्ड की कुल प्रीमियम राशि का 5 प्रतिशत अथवा 25,000/- रुपये, जो भी अधिक हो, आवेदन के साथ ही ऑन-लाईन माध्यम से जमा

करनी होगी। एक से अधिक भूखण्डों की वरियता अनुसार आवेदन करने पर, अमानत राशि केवल जिस भूखण्ड की अमानत राशि अधिकतम होगी, वह देय होगी।

#### 6. भुगतान की प्रक्रिया:

- आवेदन स्वीकृत होने के बाद सफल आवेदक को भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन की स्वीकृति के प्रस्ताव पत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी:
  - \*प्रीमियम राशि का 1% धरोहर राशि (Security Money) के रूप में (न्यूनतम रूपये 2,500)।
  - पहले से जमा EMD को समायोजित करने के बाद \*प्रीमियम राशि का 25% (\* प्रीमियम राशि = आरक्षित आवंटन दर X भूखण्ड का क्षेत्रफल)
- प्रीमियम की शेष 75% राशि का भुगतान निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर के साथ 11 समान त्रैमासिक किस्तों में किया जाएगा।
- आवंटी भूमि आवंटन के 120 दिनों के भीतर प्रीमियम की शेष 75% राशि का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है, जिसके लिए देय राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

#### 7. भूखण्ड आवंटन की विशेष शर्तें:-

- भूखण्ड का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जायेगा।
- आवंटी को भूखण्ड के कब्जा देने की तिथि अथवा ढीम्ह कब्जे अर्थात् आवंटन की तिथि से 30 दिवस के उपरान्त से, यथारिति जो भी हो, (औद्योगिक क्षेत्र विकसित घोषित किया गया अथवा नहीं इस तथ्य को ध्यान रखे बिना), 3 वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ करना होगा।
- आवंटी द्वारा पालन किए जाने वाले मध्यवर्ती अनुक्रम:

आवंटी/पट्टेदार को आवंटित भूमि/भूखण्ड पर उत्पादन शुरू करने से पहले निम्नलिखित मध्यवर्ती अनुक्रमों का पालन करना आवश्यक होगा। विरुद्ध होने पर निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जायेगी:

क्र. सं.	चरण	समयावधि (कब्जा देने की तिथि से)	शास्ति
1	(i) पट्टा समझौते का निष्पादन; (ii) भवन योजना मानचित्र प्रस्तुत करना या भवन योजना मानचित्र को स्वीकृत करवाना, जैसी भी स्थिति हों; (iii) वायु/जल अधिनियम के तहत स्थापना की सहमति (Consent to Establish) के लिए आवेदन करना, यदि लागू हो;	6 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।

	(iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए आवेदन प्रस्तुत करना, यदि लागू हो।		
2	पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की गई हो, यदि लागू हो:	12 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।
3	नियमों के अनुसार इंस्थ स्तर तक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र पूरा किया गया हो।	18 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।
4	छत के स्तर तक (बिना छत डाले) न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का निर्माण पूरा करना।	30 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।

iv. उत्पादन/गतिविधि शुरू होने के बाद आवंटी/पट्टेदार को शीघ्रताशीघ्र एसएसओ पोर्टल के माध्यम से संबंधित इकाई प्रमुख को भूखण्ड के जिस प्रयोजन हेतु आवंटन किया गया है, के उपयोग के बारे में मय निम्न दस्तावेजों ऑनलाइन माध्यम से सूचना देनी होगी:

1	<b>औद्योगिक भूखंडों के लिए:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) प्रथम विक्री का बिल;</li> <li>(ii) सरकार को जमा कराया गया जीएसटी/कोई अन्य कर की रसीद, यदि कोई हों;</li> <li>(iii) प्लांट एवं मशीनरी खरीद/किराया खरीद बिलों की स्वःप्रमाणित प्रतियां;</li> <li>(iv) औद्योगिक श्रेणी का बिजली कनेक्शन और नियमित उपयोग में लेने बाबत बिल;</li> <li>(v) वायु/जल अधिनियम के तहत औद्योगिक इकाई के संचालन की सहमति (Consent to Operate) (यदि लागू हो);</li> <li>(vi) फैक्टरी और बॉयलर लाइसेंस (यदि लागू हो);</li> <li>(vii) ग्राहक शिपिंग बिल (यदि लागू हो); और</li> <li>(viii) सीए द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जो यह दर्शाता हो कि आवंटन के समय प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में वर्णित प्रस्तावित निवेश राशि की 75% राशि का स्थायी यूंजी निवेश भवन और प्लांट एवं मशीनरी में कर लिया गया है।</li> </ul>
---	--

v. वैध अपरिहार्य कारणों से उत्पादन/गतिविधि प्रारम्भ करने में देरी की स्थिति में अधिकतम 2 वर्ष की अतिरिक्त अवधि निर्माण कार्य पूर्ण कर उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए प्रदान की जा सकेगी। एक समय में अधिकतम 1 वर्ष का समयावधि विस्तार दिया जाएगा, जिसमें पुरानी देरी की अवधि का नियमितीकरण भी शामिल होगा। ऐसे प्रकरणों में विलंब के नियमितीकरण अथवा समयावधि विस्तार नीचे दिए गए धारण शुल्क के भुगतान की शर्तों पर गुणावगुण पर दिया जा सकेगा:-

क्र. सं.	समय विस्तार	प्रत्येक तिथाही या उसके भाग के लिए धारण शुल्क की दर	सक्षम पाधिकारी
1.	एक वर्ष का समय यदि आवंटी ने निर्धारित समय अवधि के भीतर छत लेवल तक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र पूरा कर लिया है तो एक वर्ष की अतिरिक्त समयावधि।	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 2% धारण प्रभार देय होगा।	सलाहकार (इन्फा)
2.	तालिका के क्रम संख्या 1 के अतिरिक्त एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, बशर्ते कि आवंटी ने नियमानुसार न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का निर्माण पूर्ण कर लिया हो तथा इलांट एवं मशीनरी इत्यादि का क्रय आदेश दे दिया हो।	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 3% धारण प्रभार देय होगा।	प्रबन्ध निदेशक

- vi. न्यूनतम 30 प्रतिशत क्षेत्र का निर्मित होना व प्रस्तावित स्थायी पूँजी निवेश का निर्धारित समयावधि में 75 प्रतिशत विनियोजन आवश्यक।
- vii. खाली/अनुउपयोगी भूमि का हस्तान्तरण अनुज्ञेय नहीं।
- viii. भूखण्ड पर उत्पादन प्रारम्भ करने के 3 वर्ष उपरान्त ही भूखण्ड के लीज होल्ड अधिकारों का विक्रय/हस्तान्तरण अनुज्ञेय।
- ix. आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड को समर्पित करने की स्थिति में, आवंटी द्वारा जमा की गई भूमि प्रीमियम 5% की कटौती की जावेगी।
- x. आवंटित भूखण्ड का निरस्तीकरण करने की स्थिति में आवंटी द्वारा जमा की गई भूमि प्रीमियम से 10% की कटौती की जावेगी।
- xi. **उत्पादन में माने जाने का आधार:** आवंटित भूखण्ड पर स्थापित इकाई को उत्पादन में माने जाने के लिए सामान्य शर्तों के अतिरिक्त उद्यमी द्वारा आवंटन के समय रोजगार प्रदान करने की न्यूनतम संख्या पूर्ण करने एवं निर्धारित अवधि से कम समयावधि में उत्पादन प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर यदि आवंटन किया गया है, तो उन प्रकरणों में उत्पादन में माने जाने की अवधि प्रस्तावित अवधि की गणना कब्जा दिये जाने की तिथि से मानकर की जायेगी और उस पर उत्पादन प्रारम्भ की सामान्य अवधि (3 वर्ष) लागू नहीं होगी। उपरोक्त प्रकरण में विशेष शर्त आवंटी पर सामान्य शर्तों के ऊपर अधिभावी होंगी।

## द्वितीय प्रत्यक्ष आवंटन प्रणाली

**विषय:** चिन्हित उपखंड/ग्रामीण क्षेत्रों में रीको द्वारा स्थापित नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से 50% बिक्री योग्य औद्योगिक भूमि (आरक्षित भूखंडों सहित) औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए एमएसएमई उद्यमियों को भूखण्ड आवंटन

1. **पात्रता:** ऐसे सभी एमएसएमई श्रेणी के उद्यमी जिनके द्वारा "राईजिंग राजस्थान—ए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट—2024" के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ मैमोराण्डम ऑफ अंडरस्टेन्डिंग निष्पादित की गयी तथा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक भूखण्ड की मांग की औचित्यता को पूर्ण करते हों।
2. **आवेदनकर्ता का स्वरूपः—** एकल स्वामित्व इकाई, भागीदारी फर्म, एलएलपी प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, एन्यूएफ, बहुराष्ट्रीय कम्पनी (भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के अधाधीन)
3. **भूखण्ड की आवंटन दरः** सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रचलित आवंटन दर।
4. **भूखण्ड आवंटन की प्रक्रियाः**
  - i. आवेदको द्वारा ऑनलाइन माध्यम से औद्योगिक भूखंडों के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन स्वीकार किये जावेगे।
  - ii. तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वाले आवेदको के मध्य ई—लॉटरी के माध्यम से गूच्छों का आवंटन किया जावेगा।
5. **तकनीकी समीक्षा:** प्राप्त आवेदनों के साथ संलग्न प्रोजेक्ट रिपोर्ट की समीक्षा कर तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वालों को सफल आवेदक घोषित किया जायेगा। तकनीकी समीक्षा सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रीको इकाई प्रभारी तथा इकाई प्रभारी, राजस्थान वित्त निगम समिति द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं भूमि की औचित्यता के गुणावगुण के आधार पर किया जावेगा।
6. **भूखण्ड का आवंटनः** ई—लॉटरी के माध्यम से।
7. **भूखण्ड आवंटन हेतु ऑफर जारी करने की समयावधि:** लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न होने के 7 दिवस के अन्दर।
8. **मुगतान की प्रक्रियाः**
  - i. आवेदन स्वीकृत होने के बाद सफल आवेदक को भूखंड आवंटन हेतु आवेदन की स्वीकृति के प्रस्ताव पत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी:  
**\*प्रीमियम राशि का 1% धरोहर राशि (Security Money) के रूप में (न्यूनतम रूपये 2,500) एवं**  
**\*प्रीमियम राशि का 25%**  
(\*प्रीमियम राशि = प्रचलित आवंटन दर X भूखण्ड का क्षेत्रफल)
  - ii. निर्धारित समय अवधि तक उपरोक्त राशि जमा कराने में विफल रहने पर संबंधित रीको के इकाई प्रभारी द्वारा अधिकतम 15 दिवस का राशि जमा कराने के लिये बिना किसी व्याज के समयविस्तार अथवा देरी का नियमितीकरण किया जा सकेगा।

- iii. प्रीमियम की शेष 75% राशि का भुगतान निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर के साथ 11 समान त्रैमासिक किस्तों में किया जाएगा।
- iv. आवंटी भूमि आवंटन के 120 दिनों के भीतर प्रीमियम की शेष 75% राशि का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है, जिसके लिए देय राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
9. भूखण्ड आवंटन की विशेष शर्तेः—
- जिस जिले का जो भी उत्पाद 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) के तहत आयुक्त (उद्योग एवं वाणिज्य) द्वारा निर्धारित किया जावेगा उसी उत्पादन लगाने वाले उद्योगों को भी उपलब्धता के आधार ऐसी लॉटरी प्राक्रेया में शामिल किया जायेगा।
  - भूखण्ड का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जायेगा।
  - आवंटी को भूखण्ड के कब्जा देने की तिथि अथवा डीम्ड कब्जे की तिथि अर्थात् आवंटन की तिथि से 30 दिवस के उपरान्त से, यथास्थिति जो भी हो, (औद्योगिक क्षेत्र निकसित घोषित किया गया अथवा नहीं इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना), 3 वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ करना होगा।
  - आवंटी द्वारा पालन किए जाने वाले मध्यवर्ती अनुक्रमः

आवंटी/पट्टेदार को आवंटित भूमि/भूखण्ड पर उत्पादन शुरू करने से पहले निम्नलिखित मध्यवर्ती अनुक्रमों का पालन करना आवश्यक होगा। विफल होने पर निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जावेगी:

क्र. सं.	चरण	समयावधि (कब्जा देने की तिथि से)	शास्ति
1	(i) पट्टा समझौते का निष्पादन; (ii) भवन योजना मानचित्र प्रस्तुत करना या भवन योजना मानचित्र को स्वीकृत करवाना, जैसी भी स्थिति हों; (iii) वायु/जल अधिनियम के तहत स्थापना की सहमति (Consent to Establish) के लिए आवेदन करना, यदि लागू हो; (iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए आवेदन प्रस्तुत करना, यदि लागू हो।	6 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।
2	पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की गई हो, यदि लागू हो;	12 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।

3	नियमों के अनुसार प्लिंथ स्तर तक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र पूरा किया गया हो।	18 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।
4	छत के स्तर तक (बिना छत डाले) न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का निर्माण पूरा करना।	30 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।

v. उत्पादन/गतिविधि शुरू होने के बाद आवंटी/पट्टेदार को शीघ्रताशीघ्र एसएसओ पोर्टल के माध्यम से संबंधित इकाई प्रमुख को भूखण्ड के जिस प्रयोजन हेतु आवंटन किया गया है, के उपयोग के बारे में मय निम्न दस्तावेजों ऑनलाइन माध्यम से सूचना देनी होगी:

#### औद्योगिक भूखण्डों के लिए:

- (i) प्रथम बिक्री का बिल;
- (ii) सरकार को जमा कराया गया जीएसटी/कोई अन्य कर की रसीद, यदि कोई हों;
- (iii) प्लांट एवं मशीनरी खरीद/किराया खरीद बिलों की स्वःप्रमाणित प्रतियां;
- (iv) औद्योगिक श्रेणी का बिजली कनेक्शन और नियमित उपयोग में लेने बाबत बिल;
- (v) वायु/जल अधिनियम के तहत औद्योगिक इकाई के संचालन की सहमति (Consent to Operate) (यदि लागू हो);
- (vi) फैक्टरी और बॉयलर लाइसेंस (यदि लागू हो);
- (vii) ग्राहक शिपिंग बिल (यदि लागू हो); और
- (viii) सीए द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जो यह दर्शाता हो कि आवंटन के समय प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में वर्णित प्रस्तावित निवेश राशि की 75% राशि का स्थायी पूंजी निवेश भवन और प्लांट एवं मशीनरी में कर लिया गया है।

vi. वैध अपरिहार्य कारणों से उत्पादन/गतिविधि प्रारम्भ करने में देरी की स्थिति में अधिकतम 2 वर्ष की अतिरिक्त अवधि निर्माण कार्य पूर्ण कर उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए प्रदान की जा सकेगी। एक समय में अधिकतम 1 वर्ष का समयावधि विस्तार दिया जाएगा, जिसमें पुरानी देरी की अवधि का नियमितीकरण भी शामिल होगा। ऐसे प्रकरणों में विलंब के नियमितीकरण अथवा समयावधि विस्तार नीचे दिए गए धारण शुल्क के भुगतान की शर्तों पर गुणादगुण पर दिया जा सकेगा:-


क्र. सं.	समय विस्तार	प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए धारण शुल्क की दर	सक्षम प्राधिकारी
----------	-------------	---	------------------

1.	एक वर्ष का समय यदि आवंटी ने निर्धारित समय अवधि के भीतर छत लेवल तक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र पूरा कर लिया है तो एक वर्ष की अतिरिक्त समयावधि।	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 2% धारण प्रभार देय होगा।	सलाहकार (इन्फ्रा)
2.	तालिका के क्रम संख्या 1 के अतिरिक्त एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, बशर्ते कि आवंटी ने नियमानुसार न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का निर्माण पूर्ण कर लिया हो तथा प्लांट एवं मशीनरी इत्यादि का क्रय आदेश दे दिया हो।	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 3% धारण प्रभार देय होगा।	प्रबन्ध निदेशक

- vii. न्यूनतम 30 प्रतिशत क्षेत्र का निर्मित होना व प्रस्तावित स्थायी पूँजी निवेश का निर्धारित समयावधि में 75 प्रतिशत विनियोजन आवश्यक।
- viii. खाली/अनुउपयोगी भूमि का हस्तान्तरण अनुज्ञेय नहीं।
- ix. भूखण्ड 45 उत्पादन प्रारम्भ करने के 3 वर्ष उपरान्त ही भूखण्ड के लीज होल्ड अधिकारों का विक्रय/हस्तान्तरण अनुज्ञेय।
- x. आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड को समर्पित करने की स्थिति में, आवंटी द्वारा जमा की गई भूमि प्रीमियम राशि का 5% कटौती की जाएगी।
- xi. आवंटित भूखण्ड वा निरस्तीकरण करने की स्थिति में आवंटी द्वारा जमा की गई भूमि प्रीमियम राशि से 10% की कटौती की जावेगी।
- xii. अन्य नियम एवं शर्तें, उपरोक्त विशेष आवंटन योजना में जो विशेष रूप से शामिल नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में रीको भूमि निपटान नियम, 1979 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के शासित अनुसार लागू होंगी।
10. अवधि:- इस विशेष आवंटन योजना की वैधता दिनांक 30.11.2024 तक प्राप्त आवेदनों के लिये रहेगी।

वर्तमान रीको भू-निपटान नियम 1979 में प्रस्तावित आंशिक संशोधन:-

1. ई-आँक्षण नियमों में उच्चतम बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में भूगि की मांग यदि औचित्य पूर्ण है तथा आवेदक गुणावगुण पर तकनीकी अर्हता पूर्ण करता है तो उसको भूखण्ड का आवंटन कर दिया जावेगा अन्यथा H-2/H3 बोलीदाता के प्रस्ताव को उक्त वर्णित भूखण्ड आवंटन के लिए विचारार्थ रखा जावेगा, बश्ते अन्य सभी शर्तें पूर्ण होती हो। उक्त आवंटन प्रक्रिया रीको मुख्यालय रत्तर पर सम्पन्न की जायेगी।
2. उद्यमी द्वारा प्रस्ताव के समय दी गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित स्थायी पूँजी निवेश का न्यूनतम 75 प्रतिशत राशि का निवेश सहित निर्धारित/विस्तारित समयावधि में उत्पादन प्रारम्भ करना होगा।



राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डबलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड,  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

क्रमांक:  
दिनांक:

### प्रत्यक्ष औद्योगिक भूखण्ड / भूमि आवंटन संबंधी दिशेष आवंटन योजना


रीको के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 14.08.2024 को आयोजित बैठक में एजेन्डा आईटम (16) पर दिये गये अनुमोदन के आधार पर "राइजिंग राजस्थान-ए ग्लोबल इन्वेस्टमेन्ट समिट-2024" के दौरान निवेशकों को प्रोत्साहन देने के परिप्रेक्ष्य में रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्डों का आवंटन प्रत्यक्ष पद्धति से किये जाने हेतु निम्नानुसार विशेष आवंटन योजना जारी की जाती है:-

#### (1) चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्ड / भूमि के आरक्षित दर पर प्रत्यक्ष आवंटन की योजना:-

1. पात्रता: प्रत्यक्ष आवंटन प्रणाली के तहत चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में "राइजिंग राजस्थान-ए ग्लोबल इन्वेस्टमेन्ट समिट-2024" के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ मैमोरण्डम ऑफ अंडरस्टेन्डिंग निष्पादित करने वाले उद्यमियों के लिए जो औद्योगिक भूखण्ड / भूमि की मांग की औचित्यता पूर्ण करते हो।
2. आवेदनकर्ता का स्वरूप:- एकल स्वामित्व इकाई, भागीदारी फर्म, एलएलपी, प्राइवेट / पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, एचयूएफ, बहुराष्ट्रीय कम्पनी (भारतीय रिजर्व बैंक को स्वीकृति के अध्याधीन)
3. भूमि की आवंटन दर: भूखण्ड / भूमि की निर्धारित आरक्षित दर पर।
4. आवंटन की प्रक्रिया:
  - i. आवेदक को चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों / विशेष पार्क में एक ही औद्योगिक क्षेत्र में या वरीयता क्रम में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 3 भूखण्डों के लिए अपना आवेदन मय प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना होगा।
  - ii. समस्त आवेदनों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जाँच कर उसके द्वारा प्रस्तावित स्थायी पूँजी निवेश, रोजगार, उत्पादन, समयरेखा, उद्योग संचालन का अनुभव, वर्तमान इकाई के विस्तार हेतु भूमि की आवश्यकता, निर्यातमुखी इकाई, टर्नओवर आदि के अनुसार मूल्यांकन किया जावेगा।
  - iii. एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर भूखण्ड / भूमि आवंटन के लिए प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन इकाई स्तर की कमेटी द्वारा वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। आवेदक द्वारा नीचे उल्लिखित वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर प्राप्त अंकों के आधार पर आवंटन हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी:-

क्र. सं.	दिवरण	ऐसामीटर	अंक	अधिकतम अंक
1		यदि स्थायी पूँजी निवेश भूमि के मूल्य से 1 गुणा से अधिक एवं 2 गुणा तक	05	25

	स्थायी पूँजी निवेश (भूमि, भवन के निर्माण तथा संयंत्र एवं मशीनरी) पर पूँजी निवेश	यदि स्थायी पूँजी निवेश भूमि के मूल्य से 2 गुणा से अधिक एवं 3 गुणा तक यदि स्थायी पूँजी निवेश भूमि के मूल्य से 3 गुणा से अधिक एवं 4 गुणा तक यदि स्थायी पूँजी निवेश भूमि के मूल्य से 4 गुणा से अधिक एवं 5 गुणा तक यदि स्थायी पूँजी निवेश भूमि के मूल्य से 5 गुणा से अधिक	10 15 20 25	
2	रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष रोजगार)	20 से अधिक रोजगार देने वाले प्रत्येक अतिरिक्त 5 व्यक्तियों के लिए	01 अंक	25
3	उत्पादन शुरू करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा	12 महीने में 12 से 18 महीने के भीतर 18 से 24 महीने के भीतर	20 15 10	20
4	महिला उद्यमी/राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति/बैंचमार्क चिकलांगता वाले व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक/मृत सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों/अर्धसैनिक कार्मिकों के आश्रित	-	5	5
5	राज्य में इकाई के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता	-	15	15
6	निर्यातोन्मुख इकाई (विदेश व्यापार महानिंदेशालय से प्रमाण पत्र अनिवार्य)	-	5	5
7	पिछले 3 वित्तीय वर्षों गें आवेदक की कुल औसत टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक होने की दशा में (भागीदार/निदेशक होने की दशा में प्रोरेटा बेसिस पर टर्नओवर की गणना की जावेगी।	-	5	5

- iv. उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को रीको के मुख्यालय स्तर पर गठित प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता वाली परियोजना मूल्यांकन समिति जिसमें सलाहकार (इन्फ्रा), वित्तीय सलाहकार, महाप्रबन्धक (बीपी), अतिरिक्त महाप्रबन्धक (विधि), वरिष्ठ नगर नियोजक-I तथा पीएण्डडी प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक वर्तौर सदस्य सचिव, शामिल हैं, द्वारा भूमि की औचित्यता तथा वस्तुनिष्ठ मानदण्डों के आधार पर
- 

- v. प्राप्त अंको को दृष्टिगत रखकर गुणावगुण के आधार पर भूखण्ड आवंटन का निर्णय किया जावेगा। यह निर्णय उक्त समिति द्वारा 3 सप्ताह में किया जायेगा।
- vi. किसी भूखण्ड पर एक से अधिक आवेदकों द्वारा अधिकतम अंक समान होने की स्थिति में अधिकतम विनिवेश का प्रस्ताव देने वाले आवेदक को ऐसे चिन्हित भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा।
- vii. सर्वप्रथम भूखण्ड पर प्रथम वरीयता वाले आवेदकों में से उक्त भूखण्ड का आवंटन उपरोक्तानुसार किया जावेगा। अगर किसी भूखण्ड पर प्रथम वरीयता के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तब क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय वरीयता वाले आवेदनों पर विचार किया जावेगा।
5. **अमानत राशि (Earnest Money):**— आवेदक को भूखण्ड की कुल प्रीमियम राशि का 5 प्रतिशत अथवा 25,000/- रुपये, जो भी अधिक हो, आवेदन के साथ ही ऑन-लाईन माध्यम से जमा करानी होगी। एक से अधिक भूखण्डों की वरियता अनुसार आवेदन करने पर अमानत राशि वैवेल जिस भूखण्ड को अमानत राशि अधिकतम होगी, वह देय होगी।
6. **भुगतान की प्रक्रिया:**
- आवेदन रवीकृत होने के बाद सफल आवेदक को भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन की स्वीकृति के प्रस्ताव पत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी:
    - \*प्रीमियम राशि का 1% धराहर राशि (Security Money) के रूप में (न्यूनतम रुपये 2,500)
    - पहले से जमा EMD को समायोजित करने के बाद \*प्रीमियम राशि का 25%

(\* प्रीमियम राशि = आरक्षित आवंटन दर X भूखण्ड का क्षेत्रफल)
  - प्रीमियम की शेष 75% राशि का भुगतान निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्याज दर के साथ 11 समान त्रैमासिक किस्तों में किया जाएगा।
  - आवंटी भूमि आवंटन के 120 दिनों के भीतर प्रीमियम की शेष 75% राशि का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है, जिसके लिए देय राशि पर कोई व्याज नहीं लिया जाएगा।
7. **भूखण्ड आवंटन की विशेष शर्तेः—**
- भूखण्ड का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जायेगा।
  - आवंटी को भूखण्ड के कब्जा देने की तिथि अथवा डीस्ड कब्जे अर्थात् आवंटन की तिथि से 30 दिवस के उपरान्त से, यथास्थिति जो भी हो, (औद्योगिक क्षेत्र विकसित घोषित किया गया अथवा नहीं इस तथ्य को ध्यान रखे बिना), 3 वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ करना होगा।
  - आवंटी द्वारा पालन किए जाने वाले मध्यवर्ती अनुक्रम:

आवंटी/पट्टेदार को आवंटित भूमि/भूखण्ड पर उत्पादन शुरू करने से पहले निम्नलिखित मध्यवर्ती अनुक्रमों का पालन करना आवश्यक होगा। विफल होने पर निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जावेगी:

क्र. सं.	चरण	समयावधि (कब्जा)	शास्ति
----------	-----	-----------------	--------

		देने की तिथि से)	
1	(i) पट्टा समझौते का निष्पादन; (ii) भवन योजना मानचित्र प्रस्तुत करना या भवन योजना भानचित्र को स्वीकृत करवाना, जैसी भी स्थिति हों; (iii) वायु/जल अधिनियम के तहत स्थापना की सहमति (Consent to Establish) के लिए आवेदन करना, यदि लागू हो; (iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए आवेदन प्रस्तुत करना, यदि लागू हो।	6 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।
2	पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की गई हो, यदि लागू हो;	12 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।
3	नियमों के अनुसार प्लिंथ स्तर तक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र पूरा किया गया हो।	18 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।
4	छत के स्तर तक (बिना छत डाले) न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का निर्माण पूरा करना।	30 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।

iv. उत्पादन/गतिविधि शुरू होने के बाद आवंटी/पट्टेदार को शीघ्रताशीघ्र एसएसओ पोर्टल के माध्यम से संबंधित इकाई प्रमुख को भूखण्ड के जिस प्रयोजन हेतु आवंटन किया गया है, के उपयोग के बारे में मध्य निम्न दस्तावेजों ऑनलाइन माध्यम से सूचना देनी होगी:

1	औद्योगिक भूखण्डों के लिए:  (i) प्रथम बिक्री का बिल; (ii) सरकार को जमा कराया गया जीएसटी/कोई अन्य कर की रसीद, यदि कोई हों; (iii) प्लांट एवं मशीनरी खरीद/किराया खरीद बिलों की स्वप्रमाणित प्रतियां;
---	--

- |  |  |
|--|--|
|  | (iv) औद्योगिक श्रेणी का बिजली कनेक्शन और नियमित उपयोग में लेने बाबत बिल;   |
|  | (v) वायु/जल अधिनियम के तहत औद्योगिक इकाई के संचालन की सहमति (Consent to Operate) (यदि लागू हो);  |
|  | (vi) फैक्टरी और बॉयलर लाइसेंस (यदि लागू हो);   |
|  | (vii) ग्राहक शिपिंग बिल (यदि लागू हो); और  |
|  | (viii) सीए द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जो यह दर्शाता हो कि आवंटन के समय प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में वर्णित प्रस्तावित निवेश राशि की 75% राशि का स्थायी पूँजी निवेश भवन और प्लांट एवं मशीनरी में कर लिया गया है। |

- v. वैध अपरिटार्य कारणों से उत्पादन/गतिविधि प्रारम्भ करने में देरी की स्थिति में अधिकतम 2 वर्ष की अतिरिक्त अवधि निर्माण कार्य पूर्ण कर उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए प्रदान की जा सकेगी। एक समय में अधिकतम 1 वर्ष का समयावधि विस्तार दिया जाएगा, जिसमें पुरानी देरी की अवधि का नियमितीकरण भी शामिल होगा। ऐसे प्रकरणों में विलंब के नियमितीकरण अथवा समयावधि विस्तार नीचे दिए गए धारण शुल्क के भुगतान की शर्तों पर गुणावगुण पर दिया जा सकेगा:-


क्र. सं.	समय विस्तार	प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए धारण शुल्क की दर	सक्षम प्राप्तिकारी
1.	एक वर्ष का समय यदि आवंटी ने निर्धारित समय अवधि के भीतर छत लेवल तक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र पूरा कर लिया है तो एक वर्ष की अतिरिक्त समयावधि।	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 2% धारण प्रभार देय होगा।	सलाहकार (इन्प्रा)
2.	तालिका के क्रम संख्या 1 के अतिरिक्त एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, बशर्ते कि आवंटी ने नियमानुसार न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का निर्माण पूर्ण कर लिया हो तथा प्लांट एवं मशीनरी इत्यादि का क्रय आदेश दे दिया हो।	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 3% धारण प्रभार देय होगा।	प्रबन्ध निदेशक

- vi. न्यूनतम 30 प्रतिशत क्षेत्र का निर्मित होना व प्रस्तावित स्थायी पूँजी निवेश का निर्धारित समयावधि में 75 प्रतिशत विनियोजन आवश्यक।
- vii. खाली/अनुउपयोगी भूमि का हस्तान्तरण अनुज्ञेय नहीं।
- viii. भूखण्ड पर उत्पादन प्रारम्भ करने के 3 वर्ष उपरान्त ही भूखण्ड के लीज होल्ड अधिकारों का विक्रय/हस्तान्तरण अनुज्ञेय।
- ix. आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड को समर्पित करने की स्थिति में, आवंटी द्वारा जमा की गई भूमि प्रीमियम 5% की कटौती की जावेगी।

- x. आवंटित भूखण्ड का निरस्तीकरण करने की स्थिति में आवंटी द्वारा जमा की गई भूमि प्रीमियम से 10% की कटौती की जावेगी।
- xi. उत्पादन में माने जाने का आधार: आवंटित भूखण्ड पर स्थापित इकाई को उत्पादन में माने जाने के लिए सामान्य शर्तों के अतिरिक्त उद्यमी द्वारा आवंटन के समय रोजगार प्रदान करने की न्यूनतम संख्या पूर्ण करने एवं निर्धारित अवधि से कम समयावधि में उत्पादन प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर यदि आवंटन किया गया है, तो उन प्रकरणों में उत्पादन में माने जाने की अवधि प्रस्तावित अवधि की गणना कब्जा दिये जाने की तिथि से मानकर की जायेगी और उस पर उत्पादन प्रारम्भ की सामान्य अवधि (3 वर्ष) लागू नहीं होगी। उपरोक्त प्रकरण में विशेष शर्त आवंटी पर सामान्य शर्तों के ऊपर अधिभावी होंगी।
- xii. अन्य नियम एवं शर्तें, उपरोक्त विशेष आवंटन के प्रावधानों में, जो विशेष रूप से शामिल नहीं हैं, रीको भूमि निपटान नियम, 1979 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के शासित अनुसार लागू होंगी।
8. अवधि:- इस विशेष आवंटन योजना की वैधता दिनांक 30.11.2024 तक प्राप्त आवेदनों के लिये रहेगी।

#### द्वितीय प्रत्यक्ष आवंटन प्रणाली

**विषय:** चिह्नित उपखंड/ग्रामीण क्षेत्रों में रीको द्वारा स्थापित नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से 50% बिक्री योग्य औद्योगिक भूमि (आरक्षित भूखण्डों सहित) औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन के लिए एमएसएमई उद्यमियों को भूखण्ड आवंटन

- पात्रता: ऐसे सभी एमएसएमई श्रेणी के उद्यमी जिनके द्वारा “राईजिंग राजस्थान—ए ग्लोबल इन्वेस्टमेन्ट समिट-2024” के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ मैमोरण्डम ऑफ अंडरस्टेन्डिंग निष्पादित की गयी तथा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक भूखण्ड की भांग की औचित्यता को पूर्ण करते हो।
  - आवेदनकर्ता का स्वरूप:- एकल स्वामित्व इकाई, भागीदारी फर्म, एलएलपी प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, एचयूएफ, बहुराष्ट्रीय कम्पनी (भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के अध्याधीन)
  - भूखण्ड की आवंटन दर: सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रचलित आवंटन दर।
  - भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया:
    - आवेदको द्वारा ऑनलाइन माध्यम से औद्योगिक भूखण्डों के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन स्वीकार किये जावेगे।
    - तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वाले आवेदको के मध्य ई-लॉटरी के माध्यम से भूखण्डों का आवंटन किया जावेगा।
  - तकनीकी समीक्षा: प्राप्त आवेदनों के साथ सलग्न प्रोजेक्ट रिपोर्ट की समीक्षा कर तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वालों को सफल आवेदक घोषित किया जायेगा। तकनीकी समीक्षा सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रीको इकाई प्रभारी तथा इकाई प्रभारी, राजस्थान वित्त निगम समिति द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं भूमि की औचित्यता के गुणावगुण के आधार पर किया जावेगा।
- 

6. भूखण्ड का आवंटन: ई-लॉटरी के माध्यम से।
7. भूखण्ड आवंटन हेतु ऑफर जारी करने की समयावधि: लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न होने के 7 दिवस के अन्दर।
8. भुगतान की प्रक्रिया:
  - i. आवेदन स्वीकृत होने के बाद सफल आवेदक को भूखंड आवंटन हेतु आवेदन की स्वीकृति के प्रस्ताव पत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी:
 

\*प्रीमियम राशि का 1% धरोहर राशि (Security Money) के रूप में (न्यूनतम रूपये 2,500) एवं

\*प्रीमियम राशि का 25%

(\*प्रीमियम राशि = प्रचलित आवंटन दर X भूखण्ड का क्षेत्रफल)
  - ii. निर्धारित समय अवधि तक उपरोक्त राशि जमा कराने में विफल रहने पर संबंधित रीको के इकाई प्रभारी द्वारा अधिकतम 15 दिवस का राशि जमा कराने के लिये बिना किसी ब्याज के समयविस्तार अथवा देशी का नियमितीकरण किया जा सकेगा।
  - iii. प्रीमियम की शेष 75% राशि का भुगतान निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर के साथ 11 समान त्रैमासिक किरतों में किया जाएगा।
  - iv. आवंटी भूमि आवंटन के 120 दिनों के भीतर प्रीमियम की शेष 75% राशि का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है, जिसके लिए देय राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

#### 9. भूखण्ड आवंटन की विशेष शर्तेः—

- i. जिस जिले का जो भी उत्पाद 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) के तहत आयुक्त (उद्योग एवं वाणिज्य) द्वारा निर्धारित किया जावेगा उसी उत्पादन लगाने वाले उद्योगों को भी उपलब्धता के आधार ऐसी लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा।
- ii. भूखण्ड का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जायेगा।
- iii. आवंटी को भूखण्ड के कब्जा देने की तिथि अथवा डीम्ड कब्जे की तिथि अर्थात आवंटन की तिथि से 30 दिवस के उपरान्त से, यथास्थिति जो भी हो, (औद्योगिक क्षेत्र विकसित घोषित किया गया अथवा नहीं इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना), 3 वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ करना होगा।
- iv. आवंटी द्वारा पालन किए जाने वाले मध्यवर्ती अनुक्रम:

आवंटी/पट्टेदार को आवंटित भूमि/भूखण्ड पर उत्पादन शुरू करने से पहले निम्नलिखित मध्यवर्ती अनुक्रमों का पालन करना आवश्यक होगा। विफल होने पर निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जावेगी:

क्र. सं.	चरण	समयावधि (कब्जा देने की तिथि से)	शास्ति
1	(i) पट्टा समझौते का निष्पादन;	6 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की

	(ii) भवन योजना गान्धिचित्र प्रस्तुत करना या भवन योजना मानचित्र को स्वीकृत करवाना, जैसी भी स्थिति हों; (iii) वायु/जल अधिनियम के तहत स्थापना की सहमति (Consent to Establish) के लिए आवेदन करना, यदि लागू हो; (iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए आवेदन प्रस्तुत करना, यदि लागू हो।		गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।
2	पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की गई हो, यदि लागू हो;	12 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।
3	नियमों के अनुसार प्लिंथ स्तर तक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र पूरा किया गया हो।	18 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।
4	छत के स्तर तक (बिना छत डाले) न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का निर्माण पूरा करना।	30 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 0.5% (एक मुश्त) शास्ति देय होगी।

v. उत्पादन/गतिविधि शुरू होने के बाद आवंटी/पट्टेदार को शीघ्रताशीघ्र एसएसओ पोर्टल के माध्यम से संबंधित इकाई प्रमुख को भूखण्ड के जिस प्रयोजन हेतु आवंटन किया गया है, के उपयोग के बारे में मय निम्न दस्तावेजों ऑनलाइन माध्यम से सूचना देनी होगी:

#### औद्योगिक भूखण्डों के लिए:

- (i) प्रथम बिक्री वा बिल;
- (ii) सरकार को जमा कराया गया जीएसटी/कोई अन्य कर की रसीद, यदि कोई हों;
- (iii) प्लांट एवं मशीनरी खरीद/किराया खरीद दिलों की स्वप्रमाणित प्रतियां;
- (iv) औद्योगिक श्रेणी का बिजली कनेक्शन और नियमित उपयोग में लेने वाले बिल;

6. भूखण्ड का आवंटन: ई-लॉटरी के माध्यम से।
7. भूखण्ड आवंटन हेतु ऑफर जारी करने की समयावधि: लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न होने के 7 दिवस के अन्दर।
8. भुगतान की प्रक्रिया:
  - i. आवेदन स्वीकृत होने के बाद सफल आवेदक को भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन की स्वीकृति के प्रस्ताव पत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी:
 

\*प्रीमियम राशि का 1% धरोहर राशि (Security Money) के रूप में (न्यूनतम रूपये 2,500) एवं

\*प्रीमियम राशि का 25%

(\*प्रीमियम राशि = प्रचलित आवंटन दर X भूखण्ड का क्षेत्रफल)
  - ii. निर्धारित समय अवधि तक उपरोक्त राशि जमा कराने में विफल रहने पर संबंधित रीको के इकाई प्रभारी द्वारा अधिकतम 15 दिवस का राशि जमा कराने के लिये बिना किसी ब्याज के समयविस्तार अथवा देशी का नियमितीकरण किया जा सकेगा।
  - iii. प्रीमियम की शेष 75% राशि का भुगतान निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर के साथ 11 समान त्रैमासिक किरतों में किया जाएगा।
  - iv. आवंटी भूमि आवंटन के 120 दिनों के भीतर प्रीमियम की शेष 75% राशि का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है, जिसके लिए देय राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

#### 9. भूखण्ड आवंटन की विशेष शर्तें:-

- i. जिस जिले का जो भी उत्पाद 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) के तहत आयुक्त (उद्योग एवं वाणिज्य) द्वारा निर्धारित किया जावेगा उसी उत्पादन लगाने वाले उद्योगों को भी उपलब्धता के आधार ऐसी लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा।
- ii. भूखण्ड का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जायेगा।
- iii. आवंटी को भूखण्ड के कब्जा देने की तिथि अथवा ढीम्ड कब्जे की तिथि अर्थात आवंटन की तिथि से 30 दिवस के उपरान्त से, यथास्थिति जो भी हो, (औद्योगिक क्षेत्र विकसित घोषित किया गया अथवा नहीं इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना), 3 वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ करना होगा।
- iv. आवंटी द्वारा पालन किए जाने वाले मध्यवर्ती अनुक्रम:

आवंटी/पट्टेदार को आवंटित भूमि/भूखण्ड पर उत्पादन शुरू करने से पहले निम्नलिखित मध्यवर्ती अनुक्रमों का पालन करना आवश्यक होगा। विफल होने पर निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जावेगी:

क्र. सं.	चरण	समयावधि (कब्जा देने की तिथि से)	शास्ति
1	(i) पट्टा समझौते का निष्पादन;	6 माह	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की

- (v) वायु/जल अधिनियम के तहत औद्योगिक इकाई के संचालन की सहमति (Consent to Operate) (यदि लागू हो);
- (vi) फैक्टरी और बॉयलर लाइसेंस (यदि लागू हो);
- (vii) ग्राहक शिपिंग बिल (यदि लागू हो); और
- (viii) सीए द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जो यह दर्शाता हो कि आवंटन के समय प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में वर्णित प्रस्तावित निवेश राशि की 75% राशि का स्थायी पूँजी निवेश भवन और प्लांट एवं मशीनरी में कर लिया गया है।

vi. वैध अपरिहार्य कारणों से उत्पादन/गतिविधि प्रारम्भ करने में देरी की स्थिति में अधिकतम 2 वर्ष की अतिरिक्त अवधि निर्माण कार्य पूर्ण कर उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए प्रदान की जा सकेगी। एक समय में अधिकतम 1 वर्ष का समयावधि विस्तार दिया जाएगा, जिसमें पुरानी देरी की अवधि का नियमितीकरण भी शामिल होगा। ऐसे प्रकरणों में विलंब के नियमितीकरण अथवा समयावधि विस्तार नीचे दिए गए धारण शुल्क के भुगतान की शर्तों पर गुणावगुण पर दिया जा सकेगा:-

क्र. सं.	समय विस्तार	प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए धारण शुल्क की दर	सक्षम प्राधिकारी
1.	एक वर्ष का समय यदि आवंटी ने निर्धारित समय अवधि के भीतर छत लेवल तक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र पूरा कर लिया है तो एक वर्ष की अतिरिक्त समयावधि।	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 2% धारण प्रभार देय होगा।	सलाहकार (इन्फ्रा)
2.	तालिका के क्रम संख्या 1 के अतिरिक्त एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, बशर्ते कि आवंटी ने नियमानुसार न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का निर्माण पूर्ण कर लिया हो तथा प्लांट एवं मशीनरी इत्यादि का क्रय आदेश दे दिया हो।	औद्योगिक क्षेत्र की आवंटन की प्रचलित दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत (प्रीमियम दर) की गणना की जायेगी और उसका 3% धारण प्रभार देय होगा।	प्रबन्ध निदेशक

- vii. न्यूनतम 30 प्रतिशत क्षेत्र का निर्मित होना व प्रस्तावित स्थायी पूँजी निवेश का निर्धारित समयावधि में 75 प्रतिशत विनियोजन आवश्यक।
- viii. खाली/अनुउपयोगी भूमि का हस्तान्तरण अनुज्ञेय नहीं।
- ix. भूखण्ड पर उत्पादन प्रारम्भ करने के 3 वर्ष उपरान्त ही भूखण्ड के लीज होल्ड अधिकारों का विक्रय/हस्तान्तरण अनुज्ञेय।
- x. आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड को समर्पित करने की स्थिति में, आवंटी द्वारा जमा की गई भूमि प्रीमियम राशि का 5% कटौती की जाएगी।
- xi. आवंटित भूखण्ड का निरस्तीकरण करने की स्थिति में आवंटी द्वारा जमा की गई भूमि प्रीमियम राशि से 10% की कटौती की जावेगी।

- xii. अन्य नियम एवं शर्तें उपरोक्त विशेष आवंटन योजना में जो विशेष रूप से शामिल नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में रीको भूमि निपटान नियम, 1979 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के शासित अनुसार लागू होंगी।
10. अवधि:- इस विशेष आवंटन योजना की वैधता दिनाक 30.11.2024 तक प्राप्त आवेदनों के लिये रहेगी।
- नोट:- उक्त आदेश के अनुसार प्रत्यक्ष आवंटन प्रणाली को रीको भू-निपटान नियम-1979 में नये प्रावधानों के तौर पर सम्मिलित किया जायेगा।
- उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



प्रौर्व चतुर्वेदी  
सलाहकार (इन्फ्रा)

#### प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष रीको एवं प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक रीको।
3. निजी सचिव, सलाहकार (इन्फ्रा) रीको।
4. निजी सचिव, सलाहकार (एएण्डएम) रीको।
5. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, रीको।
6. मुख्य महाप्रबन्धक (एसईजेड) / (आईटी एंड पीआर) / (सिविल)
7. महाप्रबन्धक (बीपी) / (पीएण्डडी)
8. सचिव, रीको
9. अतिरिक्त महाप्रबन्धक (विधि) / (सीपीसैल) / वरिष्ठ महाप्रबन्धक (विधि)
10. वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक (पीएण्डडी) / एसएल / वीके
11. वरिष्ठ नगर नियोजक / उप नगर नियोजक
12. प्रबन्धक (विधि) एजी
13. संबंधित पत्रावली।